न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2117–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–05–2015 पारित द्वारा न्यायालय आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद, प्रकरण क्रमांक 160/अपील/2012–13 ।

.....

सुजानबाई बेवा शिवराम (मृत वारिसान)
मायाबाई पुत्री सुजानबाई पत्नि नीरज उर्फ राजेश
निवासी रेलवे गेट के पास बानापुरा सिवनीमालवा
तहसील सिवनीमालवा जिला होशांगाबाद म0प्र0

..... आवेदिका

विरूद्ध

1–मूरत सिंह आ0 नानूराम
2–हरीसिंह आ0मूरतसिंह
3–विजयसिंह आ0मूरतसिंह
4–निर्भय सिंह आ0 मूरतसिंह
5–रविशंकर आ0 मूरत सिंह
निवासी ग्राम गोदडी तहसील सिवनीमालवा,
जिला हरदा

..... अनावेदकगण

.....

श्री संदीप दुबे, अभिभाषक–आवेदिका

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 26/10/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदिका द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–05–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम गोदडी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 101/2 रकबा 3.166 हेक्टेयर, सवे क्रमांक 101/11 रकबा 1.412 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 107/2 रकबा 0.036 हेक्टेयर कुल रकबा 4.634 हेक्टेयर पर आपसी पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार सुजानबाई का नाम निरस्त कर उनका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाये । तहसीलदार द्वारा दिनांक 7–3–2009 को आदेश पारित कर सुजानबाई का नाम कम कर अनावेदकगण के नाम दर्ज किये गये। तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 7–11–2012 को आदेश पारित कर अपील अवधि बाह्य होने से निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदिका की मॉ सुजानबाई द्वारा द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 28–5–15 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि आवेदिका की माता सुजानबाई के स्वत्व स्वामित्व की भूमि है और वह उसे खोट(अर्धबटाई) पर जुलाई हेतु दी थी, जब वह वर्ष जुलाई 2012 में अपने देवर के पास गई और उसने बताया कि वह दूसरे व्यक्तियों को भूमि खोट(अर्धबटाई) पर देना चाहती है, तब उसके देवर द्वारा बताया गया कि ग्राम गोदडी में उसके नाम से कोई भी भूमि नहीं है । इस प्रकार वर्ष 2009 में पारित आदेश की जानकारी उसे दिनांक 13–7–2012 को हुई और उसके द्वारा तत्काल प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई थी जिसे अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है ।

(2) अनावेदकगण द्वारा कूटरचित कार्यवाही कर मृतक सुजानबाई के हस्ताक्षर कर नामान्तरण कराया गया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

(3) तहसील न्यायालय की आदेशिका में लिखा है कि ग्राम कोटवार से सुजानबाई की पहचान कराई गई, परन्तु उसे न्यायालय में उपस्थित होने बावत् कोई आदेशिका मौजूद नहीं है ।

(4) प्रश्नाधीन भूमि की आवेदिका भूमिस्वामी है और बिना किसी स्वत्व के अनावेदकगण का नामान्तरण करने में तहसीलदार द्वारा पूर्णतः अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है ।

(5) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदा के प्रकरण में प्रस्तुत मूल आवेदन पत्र, साक्ष्य, पंचनामें एवं प्रतिवेदन पर बिना ध्यान दिये अपील अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई है ।

(6) बिना किसी स्वत्व अर्जन के तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदकगण का नामान्तरण करने में शासन को मुद्रांक शुल्क की हानि हुई है ।

4/ अनावेदकगण के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आवेदिका सुजानबाई की पुत्री मायाबाई को बटवारे की कार्यवाही में न तो किसी प्रकार की कोई सूचना दी गई और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया है, जबकि वह प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार थी । संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत बटवारे की कार्यवाही में सभी हितधारियों को सुना जाना आवश्यक है, ऐसी स्थिति में आवेदिका को बटवारा आदेश की जानकारी नहीं होना मान्य किये जाने योग्य है, अतः अनुविभागीय अधिकारी को उनके समक्ष प्रस्तुत अपील जानकारी के दिनांक से समय सीमा में मान्य कर प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण करना चाहिये था, परन्तु उनके द्वारा अपील अवधि बाह्य मान्य कर निरस्त करने में विधि एवं न्याय की गंभीर भूल की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के अवैधानिक आदेश की पुष्टि करने में आयुक्त द्वारा भी त्रुटि की गई है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त के आदेश निरस्त

किये जाकर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को समय सीमा में मान्य करते हुये अपील का गुणदोष पर निराकरण करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–05–2015 एवं अनुविभागीय अधिकारी, बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–11–2012 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर